रजिस्ट्री सं० डी० एल० (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L.-(N)04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, नवम्बर 9—नवम्बर 15, 2008, शनिवार/कार्तिक 18—कार्तिक 24, 1930

No. 35] NEW DELHI, NOVEMBER 9—NOVEMBER 15, 2008, SATURDAY/KARTIKA 18—KARTIKA 24, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं

Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2008

आ. अ. 89.—यत:, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2003 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री जनेश कुमार भदाना, निवासी डब्ल्यू. पी. 43, ग्राम वजीरपुर, अशोक विहार, दिल्ली लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण भारत निर्वाचन आयोग के आदेश सं. 76/दिल्ली-विधान सभा/ 2003 दिनांक 8-1-2007 द्वारा निरर्हित घोषित किया था।

यत: श्री भदाना से दिनांक 19-3-2007 को निरर्हता हटाने के लिए प्राप्त आवेदन, आयोग के दिनांक 4-6-2007 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

यत: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के साधारण निर्वाचन - 2003 के संबंध में श्री भदाना ने, माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 6-5-2008 के आदेश के निदेशन के अनुसरण में वाउचर की फोटो कापी सहित अपने व्ययों की विस्तृत सूची एवं अपने दावे के समर्थन में निर्वाचन व्ययों का लेखा एस. डी. एम.(निर्वाचन) को पहले ही प्रस्तुत कर दिया था, आयोग को उपरोक्त आदेश की समीक्षा हेतु आवेदन दिया है।

यतः श्री भडाना को इस मामले में उनके निवेदन पर दिनांक 17-9-2008 को व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का अवसर प्रदान किया गया था । श्री भडाना दिनांक 17-9-2008 को आयोग के समक्ष अपने वकील के साथ उपस्थित हुए जहां मौखिक निवेदन के अलावा मामले में सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार किया जाए, और यदि वह दोषी पाया जाता है तो निरर्हता आदेश में परिवर्तन किया जाए क्योंकि वह पहले ही डेढ़ वर्ष के लिए निरर्हत रह चुका है, जिससे वह अगले निर्वाचन में लड़ने में समर्थ हो सके, और

यतः मामले के दस्तावेजों तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए को ध्यान में रखते हुए तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 10क अंतर्गत श्री जनेश कुमार भडाना पर अधिरोपित निरर्हता की अवधि कम करते हुए इस आदेश की तारीख तक कर दी है ।

अतएव, अब आयोग के आदेश संख्या 76/दिल्ली-विधान सभा/2003 (6) दिनांक 8-1-2007 में क्रम संख्या 5 में उपस्थित श्री जनेश कुमार भडाना का नाम दिनांक 31-10-2008 से उक्त आदेश से हटा दिया समझा जाएगा ।

[सं. 76/दिल्ली-विधान सभा/53/2003]

आदेश से,

स्टैण्डहोप युहलुंग, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 1st November, 2008

O. N. 89.—*Whereas, Shri Janesh Kumar Bhadana*, r/o. W. P.-43, Wazirpur village, Ashok Vihar, Delhi, a contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi held in 2003 was disqualified by the Election Commission of India, vide its order No. 76/DL-LA/2003, *dated 8-1-2007, under* Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, for failure to lodge his account of election expenses as required by the said Act and the Rules and Orders made thereunder; and

Whereas, an application *dated 19-3-2007* received *from Sh. Bhadana, for removal* of disqualification was rejected vide Commission's order dated 4-6-2007; and

Whereas, Sh. Bhadana, in pursuance of the directions of Hon'ble High Court in its order dated 6-5-2008 submitted an application to review the Commission's above-said *orders along with photo copies* of vouchers and his detailed list of expenditure pertaining to the general election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi 2003 and documents in support of the claim that he has already submitted the accounts of election expenditure to *the SDM (Election); and*

Whereas, Sh. Bhadana was afforded *an opportunity to be heard in person*, on his request, on 17-9-2008, in the matter. Sh. Bhadana appeared before the Commission on 17-9-2008 along with his lawyer whereat apart from his oral submissions, he has also submitted in writing that his case may be reconsidered *sympathetically and if at all he is found guilty*, the disqualification order may be modified as he has already undergone one year and six months of disqualification so that he may be able to contest next elections; and

Whereas, having perused the papers and having regard to the *facts and circumstances of the case*, and in deference to the order of the Delhi High Court, the Commission in exercise of the powers conferred under Section 11 of R.P. Act, 1951, has reduced the period of disqualification imposed under Section 10 A of the said Act on the said *Shri Janesh Kumar Bhadana upto the date of this order;*

Now, therefore, the name of Sh. Janesh Kumar Bhadana appearing at Sl. No. 5 in the Commission's Order No 76/DL-LA/2003 (6), dated 8-1-2007 shall deemed to have been omitted from the said order with effect from *31-10-2008.*

[No. 76/DL-LA/53/2003]

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054